आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –36 / 2021

पूजा कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
18.03.2023	प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के वाद सं0–69 / 2020 में दिनांक 23.03.2021 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है, जिस आदेश से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने पुनरीक्षणकर्ता (पूजा कुमारी) को चयन मुक्त करने का आदेश दिया है। प्रश्नगत मामला सेविका / सहाकिया चयन मार्गदर्शिका 2019 से आच्छादित है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार जनवरी 2020 में ग्राम पंचायत राज–घोसौत के वार्ड न०–05 के केन्द्र सं0–12 के लिए सेविका पद हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षी सं0–06 ने भी आवेदन समर्पित किया। रिक्ति वाले पंचायत के वार्ड सं0–05 के मैपिंग में विपक्षी सं0–06 (रूबी कुमारी) अथवा उनके पति का नाम नहीं है, तथा वर्ष 2011 एवं 2016 के ग्राम पंचायत मतदाता सूची में भी विपक्षी सं0–06 का नाम नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि मार्गदर्शिका की कंडिका 02 ''मैपिंग'' तथा कंडिका 05 ''मतदाता एवं निवासी होने का योग्यता'' में पहले अभ्यर्थी, फिर उसके पति फिर इन दोनो का नाम न होने की स्थिती में ससुर का नाम होने की बात का उल्लेख है। आगे इनका कहना है कि विपक्षी सं0–06 एवं उसके पति का ही नाम अन्य पंचायत में है फिर ससुर के नाम का होना को	

WEB COPY NOT OFFICIAL

आधार मानना युक्ति संगत नहीं है। विपक्षी सं0–06 का ग्राम पंचायत राज बाड़ा भारती के वार्ड न०–12 के ब्रजमुरिया ग्राम में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–65 के मैपिंग के क्रमांक 15 पर इस विपक्षी सं0–6 (रूबी कुमारी) का नाम द्रष्टव्य है, तथा उसी मैपिंग के क्रमांक 16 एवं 17 पर क्रमशः इस विपक्षी के भैसूर का नाम है जो अपने पिता एवं अन्य भाई के साथ हुए आपसी बँटवारा के बाद घोसौत पंचायत में अवस्थित अपने पैतृक घर को छोड़कर बाड़ा भारती पंचायत के ब्रजमुरिया ग्राम में घर बनाकर स्थाई रूप से रहने लगे। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी दावा है कि वर्ष 2016 के पूर्ववर्ती पंचायत चुनाव, 2011 के मतदाता सूची में भी इस विपक्षी सं0–6 रूबी कुमारी का नाम क्रमांक 214 पर दर्ज होना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि वर्ष 2011 के काफी पूर्व से ही यह विपक्षी बड़ा भारती पंचायत के वार्ड न०–12 की स्थायी निवासी है। विपक्षी सं0–06 के पति की मृत्यु दिनांक 13.12.2013 को हुई, पोस्टर्माटम रिपोर्ट पर भी मृतक का पता ब्रजमूरिया ग्राम अंकित है। फिर भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने इन्हें वार्ड सं0–05 की मानते हुए आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

विपक्षी सं0–06 के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार विपक्षी अपने पति के साथ वार्ड सं0–12 में निवास करती थी। दिनांक 13.12.2013 को उनके पति की मृत्यु हो गई। जिसके बाद वे अपने दो नाबालीग पुत्र को लेकर अपने ससुर (कान्ति राय) के साथ वार्ड सं0–05 में रहने लगी, जो केन्द्र सं0–412 के पोषक क्षेत्र में है। विपक्षी सं0–06 (रूबी कुमारी) का नाम किसी भी मतदाता सूची में अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत राज घोसौत वार्ड सं0–05 के पंचायत मतदाता सूची के क्रमांक 210 गृह सं0–179 पर श्वसुर कान्ति राय का नाम दर्ज है जिस आधार पर इनका चयन हुआ है। मार्गदर्शिका के कंडिका 5 के अनुरूप जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश है जो सही है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार विपक्षी सं0–06 का चयन नियमानुकूल है। जब उसके पति की मृत्यु हो गई इसके बाद वे अपने ससुर के साथ रहने लगी जो कि वार्ड सं0–05 के निवासी है। विपक्षी सं0–06 का चयन मार्गदर्शिका के अनुरूप है।

उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने,

WEB COPY NOT OFFICIAL

वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद का मुख्य बिंदु विपक्षी सं0–06 के वार्ड न०–05 के निवासी होने/नहीं होने से संबंधित है। जब तक विपक्षी सं0–06 के पति जीवित थे वे अपने पति के साथ वार्ड न०–12 में रहती थी। इस बात को विपक्षी सं0–06 के विद्वान अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है। दिनांक 13.12.2013 को उनके पति की मृत्यु हुई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मीनापुर के पत्रांक 165 दिनांक 08.03.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि '' औचक जाँच में आवेदिका रूबी कुमारी, पति स्व0 उदय राय अपने ससुर कान्ति राय के साथ पंचायत घोसौत वार्ड सं0–05 में उपस्थित पायी गयी। दिनांक 15.07.2013 को अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र में उनका पता घोसौत है। चयन मार्गदर्शिका के कंडिका 05 में उल्लेखित है कि :–

''यदि आवेदिका का घर भौतिक रूप से रिक्त वाले वार्ड (ग्रामीण क्षेत्र)/पोषक क्षेत्र (शहरी क्षेत्र) में है और वह वहाँ रह रही है, लेकिन उनका नाम अंतिम पंचायत चुनाव/अंतिम नगर निकाय चुनाव मतदाता सूची में यदि किसी कारण छुट गया तो उनका या उनके पति या ससुर का नाम अंतिम पंचायत चुनाव/अंतिम नगर निकाय चुनाव के ठीक पूर्ववर्ती पंचायत चुनाव/ पूर्ववर्ती नगर निकाय चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में अवश्य अंकित होना चाहिए।'' जिस आधाार पर विपक्षी सं0–06 का चयन हुआ है।

निम्न न्यायालय के आदेश में अंकित है कि *''महिला पर्यवेक्षिका द्वारा ग्राम पंचायत राज घोसौत के वार्ड सं0–05 हेतु तैयार मैपिंग पंजी में कही भी महिला पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। साथ ही कार्यवाही पंजी में प्रभारी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मार्गदर्शिका की कंडिका 10 के आलोक में अंतिम रूप से तीन अभ्यर्थी का पैनल भी तैयार किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रभारी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा मार्गदर्शिका की कंडिका 02 एंव 05 का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया है तथा बिना भौतिक सत्यापन किए ही चयन को पूर्ण किया गया। जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों से स्पष्ट है कि रूबी कुमारी, पति स्व0 उदय राय का घर बाड़ा भारती पंचायत में सरकारी जमीन तथा घोसौत पंचायत के निजी जमीन पर है। अंचलाधिकारी, मीनापुर द्वारा रूबी कुमारी को* 15.07.2013 को *घोसौत पंचायत का स्थयी निवासी प्रमाण–पत्र निर्गत*

WEB COPY NOT OFFICIAL

किया गया है। नियमानुसार मेधा सूची के प्रथम ओवदिका के अयोग्य होने पर ही दूसरी आवेदिका के चयन पर विचार किया जाना है। अत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मीनापुर के जाँच प्रतिवेदन एवं अपीलार्थी रूबी कुमारी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर मार्गदर्शिका की कंडिका 12 के आलोक मे श्रीमती पूजा कुमारी, चयनित सेविका, केन्द्र सं0–387, बाल विकास परियोजना, मीनापुर का चयन तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मीनापुर को प्रश्नगत केन्द्र पर योग्य आवेदिका का एक सप्ताह के अंदर चयन कर अनुपालन प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम कार्यालय उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है"। इसी आधार पर निम्न न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया है, जो नियमानुकूल है। दिनांक 15.07.2013 को अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र इस चयन कि प्रक्रिया की तिथि दिनांक 09.07.2020 शुरू होने से बहुत पहले से ही निर्गत है, अतः चयन कराने के लिए इस पते से आवासीय प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का भी प्रश्न नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष जो दावा किया है, उसका खंडन निम्न न्यायालय द्वारा अपने अपील वाद सं0–69/2020 में किया जा चुका है, जिससे स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL